न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 37/2019/प्रथम अपील

दामोदर प्रसाद पुत्र श्री बंशीधर गुप्ता, मु. खेड़ी, पोस्ट जाजोद तहसील खण्डेला, जिला सीकर राज. 332722।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **दामोदर प्रसाद** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 19.08.2019 द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए :–

    1) जिला रसद अधिकारी सीकर के द्वारा सरकारी गाड़ी आरजे 23 यूए 5566 का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए जयपुर जिले में लिया जा रहा हो तो उसके विवरण की सत्यपापित प्रति देवें।

    2) जिला पुल सीकर की गाड़ी न. आरजे 23 यूए 5566 की लॉग बुक सहित गाड़ी में डलवाये गये डीजल के विवरण की सत्यापित प्रति (दिनांक 01/04/2019 से 15/08/2019 तक) देवें।

    3) कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 467 दिनांक 15/07/2019 के अनुसार कुमारी सविता उचित मूल्य दुकानदार खेड़ी ग्राम पंचायत जाजोद तहसील खण्डेला (एफपीएस कोड– 30433) की वितरण व्यवस्था को सूचारू रूप से जारी रखने के लिए व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति उचित मूल्य दुकानदार जाजोद तहसील खण्डेला (एफपीएस कोड– 22057) को अधिकृत किये जाने वाले खाद्य सुरक्षा के नियमों की

सत्यापित प्रति देवें। जिसमें नॉन एनएफएसए की सूची में राशन काड धारकों (008201300905) पारिवारिक खाद्य लाभ दिया जा रहा हो जिनमें से तीन सदस्यों के नाम राशन कार्ड संख्या 008201300706 में भी दर्ज है। राशन डीलर सहित राशन कार्ड लाभार्थियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान हो। जिसमें जिला रसद अधिकारी को अवगत होने पर अधिकार बनता हो।

साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता तथा आपके विभाग में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा सूचना को संधारित करने वाले वर्तमान क्लर्क का नाम व पता बताइये।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्रीमती सुनिता वर्मा प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **24.10.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पैरा संख्या 3 के अनुसार चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अपने पत्र दिनांक 24.10.2019 से अपीलार्थी को बिन्दुवार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर